अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

Bank of Baroda
Darbhanga

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० 702 2019

चूँकि श्री विमल स्वरूप तेरे विजय स्वरूप सा० गोरियारण
ग्राम मुसरी बाजार दरभंगा पोस्ट लहेरिया गराय
ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण 42 मौजा
प्रमाण पत्र दिया जाय । (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अबभारों के बारे में वहीं 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-13 से ता० 31-3-19 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है । नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मौजा - लहेरिया गराय थाना नं० 534 मु-बाबत खेसरा 29189, 29190, 29191 (0) 1534, 1537 (H) माप							

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा ।

ज्ञाप सं० 702 दिनांक 5-4-19

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, Bank of Baroda Darbhanga को सूचनार्थ ।

जिला अवर निबंधक,
दरभंगा ।
5/4/19

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें अगर्ते कि इसका उल्लेख हो ।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अबभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर) ..... Santosh Kumar ..... :

(पदनाम) लिपिक :

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) ..... :

(पदनाम) लिपिक :

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख ..... 5/4/19 मुहर

जिला अवर निबंधक
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी
5/4/19 दरभंगा

1. टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे ।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अंतर्गत जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अबभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जयेंगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी ।

(ख) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चुँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।